सं.फा.49019/1/95-स्था(ग)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 14 जून, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः दैनिक मजदूरी पर अनियत कामगारों और व्यक्तियों की भर्ती।

अधोहस्ताक्षरी को अनियत कामगारों को दैनिक मजदूरी पर भर्ती करने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जून, 1988 के का.ज्ञा. सं. 49014/2/86-स्था.(ग) के प्रावधानों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। संदर्भित का.ज्ञा. के पैरा 1(iii) के प्रावधानों की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है जिसमें निर्धारित किया गया है कि "नियमित कर्मचारियों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्य की मात्रा (आऊटपुट) और उत्पादकता का संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा पुनः आकलन किया जाना चाहिए ताकि अनियत कामगारों द्वारा किए जा रहे कार्य को नियमित कर्मचारियों को सौंपा जा सके"।

2. यह देखा गया है कि उपरोक्त संदर्भित का.ज्ञा. द्वारा अनियत कामगारों की नियुक्ति के संबंध में सख्त दिशानिर्देश मौजूद होने के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने नियमित प्रकृति के कार्य के लिए अनियत कामगारों को नियुक्त करना जारी रखा है जो सरकारी नीतियों के विरुद्ध है। इसलिए यह पुनः दोहराया जाता है कि सभी मंत्रालय/विभाग अनियत कामगारों की नियुक्ति के संबंध में मौजूद दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के मामले में उपेक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और चूककर्ताओं के विरुद्ध त्वरित और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इसे उपयुक्त प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक(स्थापना)
फैक्सः 23093176

सेवा में,
मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिव ।

फा.सं.49019/1/95-स्था(ग)

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. महापंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7. पंजीयक, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान शाखा, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
9. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
10. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
11. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
12. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
13. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (इस मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए कार्यालय ज्ञापन एवं आदेश-स्थापना- दैनिक मजदूरी पर गैर-सरकारी श्रमिक और नया क्या है।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक(स्थापना)